

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 404 /2022

उनवान

राजी पत्नी पोलू बैरवा निवासी दौलतपुरा रघुराजपुरा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीया

बनाम

- 1- रामपाल पिता प्रताप बैरवा निवासी दौलतपुरा रघुराजपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- गणपत पिता लाला बैरवा निवासी दौलतपुरा रघुराजपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- हरदेव पिता नन्दा बैरवा निवासी दौलतपुरा रघुराजपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- रामनारायण पिता बालू बैरवा निवासी दौलतपुरा रघुराजपुरा तहसील शाहपुरा
- 5- देवकरण पिता किशन जाट निवासी दौलतपुरा रघुराजपुरा तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री चावण्ड सिंह
अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956


-:: निर्णय ::-

दिनांक- 22.11.2022


प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 411 रकबा 0.54 है0 कुल किता 1 रकबा 0.54 हैक्टेयर की प्रार्थीया खातेदार कार्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4, 5 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 3 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीया के कोई कार्यवाही नही चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही झोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा दौलतपुरा में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.54 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।




(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।


उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा